...le XLII - High Court (M) 21. [Old (M) 108 and (109)]

Disposal
29/05/2024

COMBINED TITLE PAGE AND TABLE OF CONTENTS FILE

कान्ती देवी एवं अन्य 2
Complainant
Applicant
Accused
Opposite party
उर्मिला देवी एवं अन्य 4

IN THE COURT OF SUB - DIVISIONAL MAGISTRATE, SADAR CHAIBASA

Misc. Case No 11/2021 of 20 ....

Section of the Indian Penal Code or other law U/S 145 Cr.P.C

Date of the Decision of the original Court ...

Date of decision of Appellate or Revisional Court ...

TABLE OF CONTENTS

1	2	3	4	5	6
Serial number of Paper	Sheets	Description	Value of Court fee Stamps	Period for which to be perserved	Remarks
01-30	30	Entire order Sheets.			

(४) (1)

N THE COURT OF SUBDIVISIONAL MAGISTRATE, SADAR, CHAIBASA

Misc. Case No. 11 | 2021
U/s 145 Cr P.C.

कान्ती देवी, अन्य-2 बनाम उर्मिला देवी, अन्य-4

28.01.2021	WHEREAS on perusal of the police report vide their Non FIR No. Petition filed by Petitioner .... I am satisfied that there is a bonafide land dispute between the aforesaid parties, and the said dispute cannot be decided unless a proceeding u/s 145 Cr. P.C. is drawn up. I also feel that there is a serious apprehension of breach of the peace between the parties with relates to possession over the land shown below in the schedule. I there fore in exercise of my power u/s 145 Cr. P.C., do here by direct the member of both the parties to appear in my court and to file written statement in respect of their claim over the disputed land by 12.02.2021.............. [signature] 28.1.2021 Sub Divisional Magistrate Sadar, Chaibasa	

12.02.2021	अभिलेख उपस्थापित। थाना प्रभारी से नोटिस का तामिला अप्राप्त है। प्रथम पक्ष के राकेश कु शर्मा द्वारा वकालतनामा हाजिरी प्रस्तुत किया गया। एवं उनके द्वारा W/S हेतु समय की मांग की गई है।
	अभिलेख दिनांक - 05.03.2021 को रखें।
	अनु० दण्डा०
05.03.21	अभिलेख उपस्थापित। थाना प्रभारी से नोटिस का तामिला अप्राप्त है। प्रथम पक्ष के राकेश शर्मा की ओर से W/S हेतु समय की मांग की गई है।
	File W/S. 1st party
	Next Date - 19.3.2021
	अनु० दण्डा०
19/03/21	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के कांति देवी उपस्थित हैं एवं उनके ओर से W/S हेतु समय की मांग की गई है।
	Next date on 26/03/21
	19/3/21

26/03/21	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के राकेश कु० शर्मा उपस्थित हैं एवं उनके द्वारा W/S दाखिल करने हेतु ~~आवेदन दिया~~ समय की मांग की गई है। द्वितीय पक्ष उपस्थित हैं एवं W/S दाखिल करने हेतु समय की मांग की गई है।
	Next date on 06/04/21
	26/03/21
06/04/2021	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित हैं। द्वितीय पक्ष उपस्थित हैं। एवं W/S दाखिल करने हेतु समय की मांग की गई है।
	अभिलेख दिनांक- 10/04/21 को रखें।
	अनु० दं०अ०
12.04.2021	अभिलेख उपस्थापित किया गया। प्रथम पक्ष अनुपस्थित है। द्वितीय पक्ष के द्वारा एक आवेदन ~~के~~ के साथ कागजात संलग्न करते हुए वाद की कार्यवाई समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।
	आदेश हेतु रखें।
	अनुदण्डा

अनुमण्डल दण्डाधिकारी का न्यायालय, सदर चाईबासा।

मिस वाद सं0 – 11/2021 (धारा 145 द0प्र0स0)

कान्ती देवी एवं अन्य 02

बनाम

उर्मिला देवी एवं अन्य 04

आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई बाद में टिप्पणी सहित
29.05.21	अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। उक्त वाद की कार्रवाई प्रथम पक्ष 1. कान्ती देवी, पति – श्री श्याम किशोर शर्मा, 2. धनंजय शर्मा, 3. राकेश कुमार शर्मा दोनों के पिता – स्व0 श्यामि कशोर शर्मा, सा0 – एस0पी0जी0 मिशन कम्पाउण्ड, थाना – सदर, जिला – प0सिंहभूम चाईबासा के आवेदन पर द्वितीय पक्ष के सदस्य 1. उर्मिला देवी, पति – स्व0 जगदीश साव, 2. अमर साव, 3. हरि साव, 4. संतोष साव, 5. अशोक साव, सभी के पिता – स्व0 जगदीश साव, सा0 – एस0पी0जी0 मिशन कम्पाउण्ड, थाना – सदर, जिला – प0सिंहभूम चाईबासा के बीच द0प्र0स0 की धारा 145 के अन्तर्गत प्रारंभ की गई है। उभय पक्ष को लिखित कथन दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। प्रथम पक्ष के द्वारा लिखित कथन दाखिल नहीं किया गया। द्वितीय पक्ष के द्वारा दिनांक 12.04.2021 को एक आवेदन दाखिल करते हुये सूचित किया गया है कि उक्त जमीन विवाद को लेकर पूर्व में इस न्यायालय के विविध वाद सं0 – 10/2020 एवं मिस वाद सं0 – 21/2020 (धारा 107 द0प्र0स0) की कार्रवाई चली थी। जिससे मामले का निपटारा हो चुका है। आवेदक द्वारा उपरोक्त वाद में पारित आदेश की छायाप्रति संलग्न करते हुये उक्त वाद की कार्रवाई समाप्त करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक द्वारा समर्पित मिस वाद सं0 – 21/2020 (धारा 107 द0प्र0स0) एवं विविध वाद सं0 – 10/2020 मेंपारित आदेश का अवलोकन किया गया। मिस वाद सं0 – 21/2020 (धारा 107 द0प्र0स0) की कार्रवाई कालबाधित होने के कारण समाप्त किया गया। विविध वाद सं0 – 10/2020 में विवादित भूमि विवाद का विस्तार में उल्लेख करते हुये पाया गया कि विवादित भूमि पर उक्त वाद के द्वितीय पक्ष के सदस्यों का दखल कब्जा है। प्रथम पक्ष के द्वारा इस वाद को प्रारंभ करने हेतु दाखिल किये गये आवेदन में उक्त वाद में पारित आदेश का उल्लेख नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रथम पक्ष के द्वारा उपर्युक्त तथ्यों को छुपाते हुये न्यायालय को अंधकार में रखकर वाद प्रारंभ कराया गया है। चूंकि धारा 145 द0प्र0स0 के अन्तर्गत विवादत भूमि पर दखल का निर्णय किया जाना है, जो कि विविध वाद सं0 – 10/2020 में स्पष्ट कर दिया गया है। अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रथम पक्ष के आवेदन को खारिज करते हुये उक्त वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। प्रथम पक्ष को आदेश दिया जाता है कि भविष्य में तथ्यों को छुपाकर आवेदन दाखिल न करें। 29.5.2021 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर चाईबासा।	

Digitally signed by SHASHINDRA BARAIK
Date: 2023.01.20 16:55:11 +05:30
Location: 192.168.29.68